फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

पी0एन0बी0 शाखा धूलकोट धौलपुर बनाम मॉ पीताम्बरा कोल्ड स्टोरेज बगैरा

किस्म मुकदमाः–अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 44 सन् 2019

RCMS No. 2019/00083

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
22.10.19	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी डॉ. सीताराम गुप्ता पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता मॉ पीताम्बरा कोल्ड स्टोरेज के पार्टनर संख्याः– 1. प्रेमसिंह पुत्र निहालसिंह चौधरी पौठा ग्राम पिपहेरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 2. गिरीष कुमार पुत्र निहालसिंह चौधरी पौठा ग्राम पिपहेरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर, 3. दिनेश कुमार पुत्र हुकुमसिंह ग्राम झीलरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर, 4. रविन्द्र कुमार पुत्र राघवेन्द्रसिंह निवासी ग्राम पिपहेरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर, 5. विमलेश त्यागी पत्नी स्व0 श्री गोकुलसिह निवासी खसरा नम्बर 230 प्लॉट नम्बर 28 सीताराम कोलोनी धौलपुर, 6. मनीष कुमार पुत्र राघवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पिपहेरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर एवं 7. श्रीमती लीलावती पत्नी श्री प्रेमसिंह निवासी चौधरी पौठा ग्राम पिपहेरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर जमानती के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 25.01.2018 को सी0सी0 रूपये 60,00,000/– व ट्रम रूपये 2,80,00,000/– रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः– सम्पत्ति के सभी अभिन्न भाग जो कि प्लांट, और मशीन कोल्ड स्टोरेज इण्डस्ट्रीयल भूमि एवं भवन खसरा नं0 1902/2, एडीएमएन 2529 स्क्वायर मीटर और खसरा नं0 1903 एडीएमएन 3541 स्क्वायर मीटर, ग्राम पिपहेरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में स्थित है, जो कि मॉ पीताम्बरा पार्टनर संख्या 1 दिनेश कुमार का 1/5 भाग, 2. प्रेमसिंह का 1/5 भाग, 3. विमलेश त्यागी का 1/5 भाग, 4. गिरीष कुमार का 1/5 भाग, 6. मनीष का 1/10 भाग एवं 6. रविन्द्र कुमार का 1/10 भाग है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 20.07.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के	685-89 23.10.19

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 03.08.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 3,66,61,102.86/— रूपये मात्र दिनांक 20.07.2019 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति के सभी अभिन्न भाग जो कि प्लांट, और मशीन कोल्ड स्टोरेज इण्डस्ट्रीयल भूमि एवं भवन खसरा नं0 1902/2, एडीमएन 2529 स्क्वायर मीटर और खसरा नं0 1903 एडीमएन 3541 स्क्वायर मीटर, ग्राम पिपहेरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में स्थित है, जो कि माँ पीताम्बरा पार्टनर संख्या 1 दिनेश कुमार का 1/5 भाग, 2. प्रेमसिंह का 1/5 भाग, 3. विमलेश त्यागी का 1/5 भाग, 4. गिरीष कुमार का 1/5 भाग, 6. मनीष का 1/10 भाग एवं 6. रविन्द्र कुमार का 1/10 भाग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

(आर० के० जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर